न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारी–राकेश कुमार मीना आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या– 512 / 2024. दावा 88 आर.टी.ए.(इस्तकरार हक)

गुरप्रीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

–वादी–

बनाम

1–सुखदेवसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया
2–नवजोत कौर पुत्री सुखदेवसिंह पत्नी कमलदीपसिंह जाति जटसिख साकिन फतूहीखेडा
3–तहसीलदार 'राजस्व' संगरिया।।

–प्रतिवादीगण–

उपस्थित :–
1–ओम प्रकाश शर्मा वकील वादीगण
2–नवरत्न स्वामी वकील प्रति. 1 से 2

निर्णय

दिनांक 5.9.2024

अधिवक्ता वादी द्वारा एक राजस्व वाद अनतगर्त धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार वादी एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 एक ही परिवार के व्यक्ति है, वादी के दावा को समझने एवं न्याय निर्णय में सहायक अपनी वंशावली दर्ज की है। कि प्रतिवादी संख्या एक वादी का सगा पिता है तथा प्रतिवादी संख्या 2 वादी की सगी बहिन है, वादी के पिता यानि प्रतिवादी संख्या एक सुखदेवसिंह पुत्र करनैलसिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक नम्बर 1 पी.टी.पी. खाता संख्या 131/35 में 2.067 है0 व खाता संख्या 54/50 में 0.696 है0 व खाता संख्या 02/22 में 0.455 है0 नहरी कृषि खातेदारी भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी में है नकल जमाबन्दी हमराह दावा है। वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 से 2 एक ही परिवार के व्यक्ति है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 के नाम उक्त प्रश्नगत भूमि विरास्तन जद्दी जायदाद है उक्त कुल भूमि में वादी का 1/3 हिस्सा जन्मजात हक बनता है। जिसे वादी जरिऐ घोषणा राजस्व अभिलेख में अपने नाम कराने का मुस्तहक एवं दावेदार है। दावा की पहरा सं. 3 में वर्णित समस्त सम्पति वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 2 की जद्दी जायदाद है जिसमें प्रतिवादी संख्या 2 किसी प्रकार से हिस्सा नहीं लेना चाहती उसने अपना हिस्सा वादी के पक्ष में छोड दिया है, वादी एवं प्रतिवादीगण का घरू विभाजन हो चुका है मुताबिक घरू विभाजन वादी को चक नम्बर 1 पी.टी.पी. खाता संख्या 131/35 में 2.067 है0 भूमि प्राप्त हो चुकी है जिसका कब्जा भी वादी के पास है शैष भूमि प्रतिवादी संख्या 1 को प्राप्त हुई है। इस प्रकार घरू विभाजन में मिली चक न0 1 पी.टी.पी. खाता सं. 131/35 में 2.067 है0 भूमि का वादी खातेदार काश्तकार हो चुका है इसी अमर की घोष्णात्मक डिक्री प्राप्त करने का वादी अधिकारी [illegible] है। उक्त भूमि राजस्व रिकार्ड में अभी तक प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज चली आ रही है [illegible] राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज होने से वादी बैंक, लिमिट [illegible] किसान क्रेडिट कार्ड बनाने में असमर्थ हूँ, इससे वादी के खातेदारी अधिकारों पर विपरीत प्रभाव पड

Next.....2

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.10 14:43:06 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

रहा है, इस कारण वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से कहा कि वे वादी को मुताबिक जन्मजात हिस्सा एवं कब्जाकाश्त अनुसार खातेदार काश्तकार मानकर उक्त भूमि उसके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करा देवे तो प्रतिवादी ने ऐसा करने से पिछले सप्ताह कतई तौर पर इन्कार कर दिया बस यही वाद कारण है।

उक्त तथ्यों के आधार पर दावा पेश होने पर व सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण की तलबी हेतु रखी गई। मुकर्रा तारीख पैशी पर प्रति0 सं. 1 से 2 की और श्री नवरत्न स्वामी ने वकालतनामा पेश कर प्रतिवादी संख्या 2 का जबाब पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया तथा वकील उभयपक्ष ने वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य राजीनामा हो जाने के कथन किये और राजीनामा तहरीर व तकमील होकर प्रस्तुत किया गया जिसे बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 3 स्टेट ने अपना जबाब दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली में इकबालिया जबाब एवं राजीनामा पेश होने पर दावा में कोई विरोध नहीं रहा इसलिये तनकीयात कायम नही की गई। वादी की और से वादी ने साक्ष्य में अपना शपथ पत्र आ.18 नि.4 सी.पी.सी. के तहत पैश किया जो शामिल पत्रावली किया गया तथा दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी प्रदृशित कराई गई।

बहस वकील वादी व प्रतिवादीगण की सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने दावा में वर्णित तथ्यों को दोहराया व वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया, बहस वकील प्रतिवादी संख्या 1 व 2 ने कोई विरोध नहीं करते हुए मुताबिक राजीनामा दावे को स्वीकार किये जाने पर कोई एतराज नहीं होना जाहिर किया। बहस वादी एवं वकील प्रतिवादीगण की सुनने के बाद पत्रावली का अवलोकन किया गया। जमाबन्दीयों भूमि प्रतिवादी सं. 1 के नाम है वादी द्वारा प्रस्तुत दावा व शपथ पत्र में विरास्तन होने कथन किया गया है इससे भूमि विरास्तन मानते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है व आदेश दिये जाते है कि **वादी को अपने पिता** सुखदेवसिंह **पुत्र करनैलसिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक नबंर 1 पी.टी.पी. खाता संख्या 131/35 में 2.067 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त खाता से प्रतिवादी संख्या 1** सुखदेवसिंह **पुत्र** करनैलसिंह **का नाम कलमजन किया जाकर राजस्व अभिलेख में वादी का नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि बैंक के रहन है जिसका बैंक नौ–डूयूज पेश होने पर नामान्तरण की कार्यवाही करे।**

अतः पर्चा डिकरी जारी हो तथा पत्रावली फैसला शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर होवे।

निर्णय आज दिनांक 5.9.2024 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.10 14:43:06 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
[illegible]
संगरिया

डिक्री बमुकदमें इब्तदाई

(आदेश 20 के नियम 6 व 7 सी.पी.सी.)

न्यायालय–सहायक कलक्टर, एवं उपखण्ड अधिकारी, संगरिया

पीठासीन अधिकारी– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या–512 /2024 वाद पत्र अन्तर्गत धारा–88 आर.टी.ए.।

गुरप्रीत सिंह पुत्र सुखदेव सिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राजस्थान)

–वादी–

बनाम

1–सुखदेवसिंह पुत्र करनैलसिंह जाति जटसिख साकिन संतपुरा तहसील संगरिया
2–नवजोत कौर पुत्री सुखदेवसिंह पत्नी कमलदीपसिंह जाति जटसिख साकिन फतूहीखेड़ा
3–तहसीलदार 'राजस्व' संगरिया।

–प्रतिवादीगण–

दावा बाबत इस्तकरार हक

मुकद्मा नम्बर 512/2024

यह मुकद्मा आज वास्ते इन फिसाल कतई हमारे बहाजरी श्री ओम प्रकाश शर्मा एडवोकेट मिन जानिब मुदई नवरत्न स्वामी जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि:–वादी को अपने पिता सुखदेवसिंह पुत्र करनैलसिंह के नाम से तहसील संगरिया के चक नबंर 1 पी.टी.पी. खाता संख्या 131/35 में 2.067 है0 भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है उक्त खाता से प्रतिवादी सं. 1–सुखदेवसिंह पुत्र करनैलसिंह का नाम कलमजन किया जाकर राजस्व अभिलेख में वादी का नाम अंकित किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादी संख्या 1 की भूमि बैंक के रहन है जिसका बैंक नौ–डूयूज पेश होने पर नामान्तरण की कार्यवाही करे।

निज......X......मुब्लिक......X......बाबत......X...... ।खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालना आज की तारीख बसूलयाबी तक......X......को अदा करे।।

बसब्त मैरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 5.9.2024 को जारी किया गया

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर
उपखण्ड अधिकारी
संगरिया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.09.10 14:43:06 IST
Reason: SelfAttested